हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 02 -04- 2010

संख्या 3 /ह0अ0 6/2003/धा0 60/2010. – हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (_____ संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 11 में ;–

(क) ''उप –नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम (5) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(5) धारा 11 की उप–धारा (2) के अधीन पंजीकरण के लिए कोई आवेदन व्यवहारी द्वारा प्ररूप वैट क–I में समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए उसके दायी होने से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा, और वह आयुक्त द्वारा यथा निदेशित वैट क–I में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तवावेजों या कोई अन्य दस्तवावेज/पहचान चिन्ह लगाएगाः–

(i) पंजीकरण फीस के मद्दे एक सौ रूपये की राशि सरकारी राजकोष में जमा करवाकर प्राप्त की गई खजाना रसीद या प्रार्थना–पत्र पर चिपकाई गई एक सौ रूपये की न्यायालय फीस स्टैम्पस ;

(ii) नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो और (क) स्वत्वधारीत्व की दशा में स्वत्वधारी (ख) भागेदारी फर्म की दशा में सभी भागेदार; (ग) अविभाजित हिन्दु परिवार की

दशा में कर्ता; (घ) सोसाइटी की दशा में कारबार का प्रबन्ध करने वाला सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अधिकारी; (ड.) कम्पनी की दशा में, कम्पनी का कारबार प्रबन्ध करने वाला कम्पनी का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक या मुख्य अधिकारी; (च) सरकारी विभाग की दशा में विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी और (छ) व्यक्तियों का संगम या कल्ब के सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत या कल्ब के कामकाज का प्रबन्ध करने वाले व्यकित के पहचान का सबूत/पहचान सबूत में फोटो सहित वर्तमान वोटर आई डी.कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या फोटो सहित ड्राइविंग लाइसैंस या बैंक पासबुक या फोटो सहित सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज हो।

(iii) कारबार परिसर में मिली हुई भूमि के अग्रभाग की फोटो इसकी उचित अवस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बाईं तथा दाईं तरफ पर कारबार परिसर के भाग पर चित्रित हो।

(आवेदक द्वारा फोटो हस्ताक्षरित होनी चाहिए)

(iv) आवेदक के लिए खड़े व्यक्ति (यों) की नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो (ज़) जो कि राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक/बैंक मैनेजर द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित हो।

(v) कारबार जिसके लिए पंजीकरण हेतु आवेदन दिया है, के आय कर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या की सत्यापित प्रति ;

(vi) कारबार परिसर की रैन्ट डीड की सत्यापित प्रति यदि ये किराए पर ली गई हैं या स्वत्वधारी/अविभाजित हिन्दु परिवार/फर्म /कम्पनी /व्यक्तियों के संगम इत्यादि द्वारा स्वतः स्वामित्वाधीन है तो हक विलेख की सत्यापित प्रति।;

(ख) उप–नियम (7) में,– ''।'' चिह्न के स्थान पर '' : '' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप–नियम (7), के बाद निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सम्बन्धित कार्यालय में पंजीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर प्रारूप वैट क-I में प्राप्त आवेदन का निपटारा करेगा।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 20 में ;–

(क) विद्यमान उप–नियम (3) के स्थान पर,निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

''(3) कर के भुगतान पर राज्य में अन्य वैट व्यवहारी से काराधेय माल का क्रय करने वाला कोई वैट व्यवहारी ऐसे माल के सम्बन्ध में निवेशकर के अपने दावे के समर्थन में, विक्रेता वैट व्यवहारी द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया प्ररूप वैट ग 4 में एक प्रमाण–पत्र कर बीजक सहित कराधेय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जब उस द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए। विक्रेता वैट व्यवहारी तथा कराधेय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा करने पर उसको प्रस्तुत की जाने वाली ऐसे प्रमाण–पत्र की दोहरी प्रति अपने पास रखेगा, एक रजिस्टर में जब कभी वह उससे अपेक्षा करे इन प्रमाण पत्रों का सही रिकार्ड को रखेगा तथा प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ते क्रम में मुद्रित क्रम संख्या में जारी किए जाएंगे।'';

(ख) विद्यमान उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

''(4) कर बीजक पर विक्रेता वैट व्यवहारी का, अन्य वैट व्यवहारी को उस द्वारा माल के विक्रय पर कर भुगतान का दायित्व समाप्त नहीं होगा यदि वह क्रय कर रहे वैट व्यवहारी को पूर्वगामी उप–नियम में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल है या झूठा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है तथा इस कारण के लिए कर बाद वाले से वसूल कर लिया जाता है किन्तु यदि विक्रेता वैट व्यवहारी उसको देय कर बाद में भुगतान कर देता है, तो क्रय कर रहे वैट व्यवहारी का दायित्व तद्नुसार समाप्त हो जाएगा तथा वह ऐसे देयों की वसूली के तीन वर्षों के भीतर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है।''

4. उक्त नियमों में, नियम 25 में;–

(क) विद्यमान प्रावधान उप–नियम (1) के रूप में संख्याकित किया जाएगा;

(ख) पुनः संख्याकित उप नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात्ः–

''(2) (क) कार्य संविदा अथवा जाब वर्क के निष्पादन से निकाले आवर्त के मामले में कराधेय आवर्त दर्शाने वाली राशि में से श्रम, सेवाओं की ओर प्रभार और अन्य प्रभार इसके अध्यधीन कि व्यवहारी उचित अभिलेख जैसा कि बीजक वाउचर, चालान अथवा कर लगाने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रभार के भुगतान का सबूत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज रखता है, के निकाल करें ।

(ख) उप नियम (2) के खण्ड (i) के प्रयोजन हेतु श्रम, सेवाएं और अन्य समान प्रभारों की ओर निम्नलिखित प्रभार शामिल होंगेः—

(i) कार्यों निष्पादन हेतु श्रम सेवाओं की ओर प्रभार;

(ii) योजना और वास्तुशिल्पियों की फीस के लिए प्रभार;

(iii) कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयोग में आने वाले उपभोग जैसा कि जल, विद्युत, ईंधन इत्यादि सम्पति जो कार्य संविदा के निष्पादन के सिलसिले में अन्तरित न हो, की लागत ;

(iv) उस सीमा तक जहां तक श्रम और सेवाएं जारी रखने का सम्बन्ध है, संविदाकार की स्थापना की लागत ;

(v) श्रम और सेवाओं से सम्बन्धित अन्य समान खर्चे

(vi) कार्य स्थलों के लाभ तथा हानि के खाते प्रस्तुत करने में अध्याधीन श्रम और सेवाओं जहां तक ये संविदा कार द्वारा अर्जित किये गए लाभ से सम्बन्धित हैः

परन्तु जहां श्रम, सेवाओं के प्रभार की राशि तथा अन्य दूसरे प्रभार व्यवहारी के खाता किताबों से निश्चेय नहीं होते या व्यवहारी ऐसे प्रभारों के सर्मथन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे प्रभारों की राशि नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट मूल्यवान प्रतिफल की प्रतिशतता पर संगणित की जाएगीः—

सारणी

संकर्म संविदा या जॉब वर्क के लिए प्रतिशत्ता

क्रम संख्या	**संविदा के प्रकार**	**श्रम, सेवा तथा अन्य प्रभारों की कुल मूल्य की संविदा प्रतिशतता के रूप में**
1.	प्लांट तथा मशीनरी के निर्माण तथा स्थापना	पच्चीस प्रतिशत

2.	आयरन ट्रयसिस, पूरलियोनस तथा उसी प्रकार की पूर्ति तथा निर्माण सहित लोहे तथा स्टील संकर्म संरचना का निर्माण तथा पुनः निर्माण	प्रन्द्रह प्रतिशत
3.	भारी वस्तुओं को हटाने तथा उठाने वाले यन्त्र का निर्माण तथा स्थापना	प्रन्द्रह प्रतिशत
4.	वस्तुओं को ऊपर उठाने व लाने वाले यन्त्र का निर्माण तथा स्थापना	प्रन्द्रह प्रतिशत
5.	एक तरफ मुड़ने और सिकुड़ने वाले दरवाजों का निर्माण तथा स्थापना	प्रन्द्रह प्रतिशत
6.	सिविल संकर्म जैसे कि इमारतों, पुलों, सड़कों, बान्धों, सीवरेज, नहरों और नालों के निर्माण पर	बीस प्रतिशत
7.	दरवाजों, चौखाटें, खिड़कियों फ्रेम तथा ग्रील स्थापना	प्रन्द्रह प्रतिशत
8.	टाईल्स, स्लैब, पत्थर तथा सीटों की पूर्ति करना	बीस प्रतिशत
9.	एयर कन्डिशन तथा एयर कूलर की प्रति तथा स्थापना तथा जोड़ना	प्रन्द्रह प्रतिशत
10.	वातानुकूलक यन्त्र जिसमें डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज प्लांट हयूमीडिफिकेशन प्लांट तथा डि–हूमीडरस सम्मिलित हों, की पूर्ति तथा स्थापना	प्रन्द्रह प्रतिशत
11.	बिजली के समान फिटिंग, आपूर्ति और बिजली के उपकरणों ट्रांसफार्मर सहित की स्थापना	प्रन्द्रह प्रतिशत
12.	आन्तरिक सजावट और झूठे उच्चतम सीमा के लिए ठेके सहित फर्नीचर और फिक्चर, पार्टीशनज की आपूर्ति	प्रन्द्रह प्रतिशत
13.	रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए परिवहन के अधीन रेल कोच और वैगनों का निर्माण	बीस प्रतिशत
14.	मोटर वाहन के बाडीज के निर्माण तथा ट्रेलरों के निर्माण	बीस प्रतिशत
15.	नलसाजी और जल निकासी या सीवरेज के लिए सेनेटरी फिटिंग	पच्चीस प्रतिशत
16.	भूमिगत सतह पर डाली जाने वाली पाईप लाईन, केवल या जल प्रणाली	तीस प्रतिशत

17.	वस्त्रों की डाईंग और छपाई	तीस प्रतिशत
18.	भारी वस्तुओं को तोलने की मशीन तथा भारी गाड़ियों को तोलने के यन्त्र की आपूर्ति	प्रन्द्रह प्रतिशत
19.	रंगसाजी, पॉलिश करने तथा सफेदी करने के कार्यों पर	तीस प्रतिशत
20.	टायर को फिर से चलाने योग्य बनाने	चालीस प्रतिशत
21.	फोटोग्राफी और मुद्रण संविदाएं	तीस प्रतिशत
22.	इलैक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो गालवेनाइजिंग और एनोडाइजिंग तथा उसी प्रकार के	चालीस प्रतिशत
23.	उपरोक्त सभी अन्य संविदाएं जो क्रम संख्या 1 से 22 में जो विनिर्दिष्ट नहीं हैं	बीस प्रतिशत

परन्तु जहां व्यवहारी श्रम, सेवाओं तथा अन्य उसी प्रकार के प्रभारों के मद्दे को खाते में कटौती का दावा ऊपर तालिका में विनिर्दिष्ट मूल्यवान प्रतिफल प्रतिशतता (कुल संविदा का मूल्य) से अधिक कर लगाने के लिए निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी को लिखित रूप में दावा स्वीकार करने के लिए कारणों का अभिलिखित करना होगा ।''।

5. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप वैट ग–4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''प्ररूप वैट ग–4

[देखिए नियम 20 (1),(2),(3)]

प्रमाण–पत्र

धारा 8 की उप–धारा (3) के अधीन निवेष कर के दावे के लिए करयोग्य माल के सम्बन्ध में क्रय कर रहे वैट व्यवहारी को विक्रय कर रहे वैट व्यवहारी द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम ————————————(विक्रय कर रहे व्यवहारी का नाम और पूरा पता) करदाता पहचान संख्या (टिन) ———,——— जिले में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन पंजीकृत हैं ने,

(i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत टी आर संख्या————————दिनांक————————द्वारा पूरी राषि अदा कर दी है

(ii) मैसर्ज ———————— (विक्रय कर रहे व्यवहारी का नाम और पूरा पता) टिन ——————— द्वारा मैसर्ज ————————————(क्रय कर रहे व्यवहारी का नाम और पूरा पता) टिन ————————————को बेचे गए माल पर अदा किए गए निवेष कर का समायोजन नीचे दर्षाए गए कर बीजकों के अनुसार कर दिया है:–

क्रम संख्या	**बेचे गए माल का विवरण**	**कर बीजक संख्या**	**दिनांक**	**कर योग्य राशि**	**कर की राशि**
कुल					

1. कुल कर योग्य राषि————————

2. कुल कर राषि————————————

स्थान————————
तारीख————————

विक्रय कर रहे वैट व्यवहारी के हस्ताक्षर
नाम————————
हैसियत————————

व्यवहारी की मोहर

कार्यालय मोहर

टिप्पण: 1. मूल प्रति विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रय व्यवहारी को जारी की जाए

2. छाया प्रति विक्रय करने वाले वैट व्यवहारी द्वारा रखी जाएगी।

3. जो लागू न हो काट दिया जाये।''।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।